

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE, BHOPAL

**ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE OF ORDER ISSUED BY
HON'BLE NGT IN ORIGINAL APPLICATION NO. 241/2024 (PB)
DATED 14.03.2024**

IN THE MATTER OF:


**(Suo Moto Action on the News item titled "Umariya: nahi tham raha avaidh
ret kharan, police ne phir jabt kia ek tractor, kharanij vibhag ko nahi jaankari"
appearing in Amar Ujala dated 03.02.2024)**

INDEX

Sr. No.	Particulars	PAGE
1	Action Taken Report	1-8
2	List of Enclosures	9-34

Date: 12.06.2024

Submitted by MPPCB:-



through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL
ZONAL BENCH**

**ACTION TAKEN REPORT IN COMPLIANCE OF ORDER
ISSUED BY HON'BLE NGT IN ORIGINAL APPLICATION No.
241/2024 (PB) DATED 14.03.2024**

(Suo Moto Action on the News item titled "Umaria: nahi tham raha avaidh ret khanan, police ne phir jabt kia ek tractor, khanij vibhag ko nahi jaankari" appearing in Amar Ujala dated 03.02.2024)

1. That the Hon'ble National Green Tribunal order dated 14.03.2024:-
This original application is registered on the basis of the news item titled "Umaria: nahi tham raha avaidh ret khanan, police ne phir jabt kia ek tractor, khanij vibhag ko nahi jaankari" appearing in Amar Ujala dated 03.02.2024. The news item reveals the illegal excavation and transportation of sand in Umaria district of Madhya Pradesh.
2. That the answering respondent is Regulatory Body constituted under section 4 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 and also full filling the responsibility bestowed under section 5 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981.
3. That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has passed an order on 14.03.2024 in the original application no. 241/2024. The directions of the order are as follows:
"Member Secretary, MPPCB will submit the action taken report within three months before the Registrar of the Central Zonal Bench of the Tribunal. If found necessary the matter will be listed for further consideration before the Central Zone Bench, Bhopal. Office is

directed to transfer the original Copy of order enclosed.

record of the OA to Central Zonal Bench, Bhopal. [Annexure 1]"

1. That in compliance of the above order the board is filling the joint committee report. It is most humbally submitted that with regards to illegal sand mining the authority and powers to stop, take action against illegal sand mining lies with the Local Administration (District Magistrate, Umariya) or Mining Department. The related clauses in various acts containing the information regarding power distribution to stop illegal mining, take actions etc. are as follows :-

A. Power of seizing machine, tools machinery wrt illegal mining

1. **Collector or Officer authorized for this purpose as per Para 2 Section 20 (1) of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rule, 2019** *"Provided that if penalty amount imposed is not deposited by the illegal extractor, then Collector or Officer authorized for this purpose may confiscate and auction the seized mineral, vehicle, machines and tools".* [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-02**]
2. **The Collector or any Officer authorized for this purpose as per Para 1 Section 53 (2) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996** *"Whenever any person is found extracting or transporting mineral in contravention of the provisions of these rules the Collector/Additional Collector/ Joint Director/Deputy Director/Mining Officer/Assistant Mining Officer, or any Officer authorized by him or Zila/Janpad/Gram Sabha] may seize the minor minerals and its products together with all tools, equipments and vehicles used in committing such offence".*[A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-03**].

B. Power of Releasing/Forfeiting Machinery engaged/involved in illegal mining

- 1. The Collector or any Officer authorized for this purpose as per Para 1 Section 20 (1) of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rule, 2019** *"On receipt of information about illegal mining, the Collector or Officer authorized for this purpose, shall seize mineral, vehicle, machine, tools etc. and case shall be submitted, before the Collector. During the pendency or before taking final decision of the registered case, if any application for compounding the case is received, the Collector may dispose of the case after applicant depositing an amount equal to 25 times of royalty of the excavated mineral. During this period, if application/consent is not received, Collector shall impose penalty, 50 times of the royalty of mineral excavated. On deposit of compounding amount or penalty amount, the seized mineral, vehicle, machines, tools, may be released". [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-04**].*
- 2. The Collector or any Officer authorized for this purpose as per Para 1 Section 53 (4) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996** *"The property so seized under sub-rule (2) may be released by the officer who seized such property on execution of a bond to the satisfaction of the officer by the persons from whose possession such property was seized. It shall be produced at the time and at the place when such production is asked for by such officer: Provided that where a report has been made to the Magistrate under sub rule (3) then the seized property shall be released only under the orders of such Magistrate". [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-05**].*

C. Power of confiscating illegal mine material

1. **Collector or Officer authorized for this purpose as per Para 2 Section 20 (1) of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rule, 2019** *"Provided that if penalty amount imposed is not deposited by the illegal extractor, then Collector or Officer authorized for this purpose may confiscate and auction the seized mineral, vehicle, machines and tools"*. [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-06**].
2. **The Collector or any Officer authorized for this purpose as per Para 1 Section 53 (2) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996** *"Whenever any person is found extracting or transporting mineral in contravention of the provisions of these rules the Collector/Additional Collector/ Joint Director/Deputy Director/Mining Officer/Assistant Mining Officer, or any Officer authorized by him or Zila/Janpad/Gram Sabha] may seize the minor minerals and its products together with all tools, equipments and vehicles used in committing such offence"*. [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-07**].
3. **Under the Section 102 of CrPC Act,** *"Power of police officer to seize certain property.—(1) Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen, or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offence"*. [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-08**].

D. Action taken by MPPCB, Shahdol with respect to illegal sand mining:-

- i. District Mining Officers of all the districts in Shahdol Division were intimated/requested to take action against illegal sand mining occurring in the District vide Letter No. 3330 dated 20.11.2023. [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-09**].
- ii. Superintendent of Police of all the districts in Shahdol Division were intimated/requested to take action against illegal sand mafias to discourage any further illegal activities related to sand mining in district vide Letter No. 3541 dated 07.12.2023. [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-10**].
- iii. District Mining Officer, Umaria was requested to provide details of the cases registered and action taken against illegal sand mining incidents vide Letter No. 42 dated 04.04.2024 and Letter No. 296 dated 20.05.2024 [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-11**].
- iv. Collector Office (Mining Section), District-Umaria (M.P) has submitted the details of action taken by Police Department and Mining Department of district Umaria (M.P) in year 2023-24 and 2024-25 (upto month April) with respect to illegal mining, storage and transportation of sand vide letter no. 750 dated 22.05.2024. [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-12**].
- v. Office of Superintendent of Police, District Umaria (M.P) letter no. 472 dated 07.05.2024 regarding details (summary format) of action taken with respect to illegal sand mining and transportation is enclosed. [A copy of this rule is filed herewith as **Annexure-13**].

- vi. Details (summary format) of action taken by Mining Department, District Umaria (M.P) with respect to illegal sand mining and storage is enclosed. [A copy of this rule is filed herewith as Annexure-14].
- vii. The copy of documents such as seizure format, report, notice issued by related court, first information report, final form/report etc. is enclosed. [A copy of this rule is filed herewith as Annexure-15].

SHAHDOL

Date:- 11/06 /2024

M/Sw
11/06/2024
Mukesh Shrivastava

Regional Officer
M.P Pollution Control Board
Shahdol (M.P)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

(Suo Moto Action on the News item titled "Umara: nahi tham raha avaidh ret khanan, police ne phir jabt kia ek tractor, khanij vibhag ko nahi jaankari" appearing in Amar Ujala dated 03.02.2024)

List of Enclosures

S. No.	List of Documents	Annexure	Page Number
1	Hon'ble NGT order dated 14.03.2024.	Annexure- 1	9-10
2	Copy of Section 20 (1) of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rule, 2019	Annexure- 2	11
3	Copy of Section 53 (2) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996	Annexure- 3	12
4	Copy of Section 20 (1) of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rule, 2019	Annexure- 4	13
5	Copy of Section 53 (4) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996	Annexure- 5	14
6	Copy of Section 20 (1) of Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage & Trading) Rule, 2019	Annexure- 6	15
7	Copy of Section 53 (2) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996	Annexure- 7	16
8	Copy of Section 102 of CrPC Act	Annexure- 8	17
9	Copy of letter to District Mining Officer	Annexure- 9	18-19

	dated 20.11.2023		
10	Copy of letter to Superintendent of Police dated 7.12.2023	Annexure- 10	20-21
11	Copy of letter's requesting District Mining Officer to provide details about the action taken against illegal sand mining incidents	Annexure- 11	22
12	Collector Office (Mining Section), District-Umaria (M.P) letter no. 750 dated 22.05.2024.	Annexure- 12	23
13	Office of Superintendent of Police, District Umaria (M.P) letter no. 472 dated 07.05.2024	Annexure- 13	24
14	Details of action taken by Mining Department, District Umaria (M.P)	Annexure- 14	25
15	Copy of Documents such as seizure format, report, notice issued by related court, first information report, final form/report etc.	Annexure- 15	26-33

Submitted by MPPCB:-



through Counsel

Adv. Parul Bhadoria

Ph. No.: (+91)-8085977111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

Item No. 07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 241/2024

News item titled "**Umaria: nahi tham raha avaidh ret khanan, police ne phir jabt kia ek tractor, khanij vibhag ko nahi jaankari**" appearing in Amar Ujala dated 03.02.2024

Date of hearing: 14.03.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

ORDER

1. This original application is registered on the basis of the news item titled "**Umaria: nahi tham raha avaidh ret khanan, police ne phir jabt kia ek tractor, khanij vibhag ko nahi jaankari**" appearing in Amar Ujala dated 03.02.2024. The news item reveals the illegal excavation and transportation of sand in Umaria district of Madhya Pradesh. As per the news item sand was being illegally excavated in a red coloured tractor near Bholu Bag's farm on Arjun Pahadia Road at Umaria. As per the disclosure some action has been taken by the police against the culprits. The news item reveals violation of the Sand Mining Guidelines, 2016 and provisions of Environment Protection Act, 1986.

2. The news item raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.

3. Power of the Tribunal to take up the matter *suo-motu* has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "*Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors.*" reported in 2021 SCC Online SC 897.

4. Having regard to the nature of issue involving the matter, we are of the opinion that the Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) is required to take appropriate action to ascertain the extent of the illegal sand mining in the area concerned, the persons responsible for the same and also to take appropriate action for imposing the Environmental Compensation for violation of the environmental norms.
5. Member Secretary, MPPCB will submit the action taken report within three months before the Registrar of the Central Zonal Bench of the Tribunal. If found necessary the matter will be listed for further consideration before the Central Zone Bench, Bhopal. Office is directed to transfer the original record of the OA to Central Zonal Bench, Bhopal.
6. OA is accordingly disposed of.
7. A copy of this order, along with a copy of the petition, be forwarded to the Member Secretary, MPPCB by e-mail for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. A. Senthil Vel, EM

March 14, 2024
Original Application No. 241/2024
AS.

Chapter -X**Illegal Mining, Transportation and Storage of Sand****20. Penalty and Compounding of cases of Illegal Mining.-**

- (1) On receipt of information about illegal mining, the Collector or Officer authorised for this purpose, shall seize mineral, vehicle, machine, tools etc. and case shall be submitted, before the Collector. During the pendency or before taking final decision of the registered case, if any application for compounding the case is received, the Collector may dispose of the case after applicant depositing an amount equal to 25 times of royalty of the excavated mineral. During this period, if application/consent is not received, Collector shall impose penalty, 50 times of the royalty of mineral excavated. On deposit of compounding amount or penalty amount, the seized mineral, vehicle, machines, tools, may be released:

Provided that if penalty amount imposed is not deposited by the illegal extractor, then Collector or Officer authorised for this purpose may confiscate and auction the seized mineral, vehicle, machines and tools.

- (2) **Penalty and compounding of cases of illegal transportation-** In case of registered cases of illegal transportation, transportation without valid e-tp and transportation with quantity more than the quantity entered in e-tp, the Collector may dispose off cases after deposit of compounding fees or amount of penalty by the illegal extractor, as under:-

1. Subs. by Notfn. No. F-19-10-99-XII-2, dated 30-5-2001.

has evaded or avoided payment of royalty, the assessing authority may after giving to assessee a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it may consider necessary, assess the royalty for the period to the best of its judgement. The amount so assessed shall be payable forthwith by the assessee.

CHAPTER X

PENALTY FOR UN-AUTHORISED EXTRACTION AND TRANSPORTATION

53. Penalty for un-authorized extraction and transportation. - (1) Whenever any person is found extracting or transporting minerals or on whose behalf such extraction or transportation is being made otherwise than in accordance with these rules, shall be presumed to be a party to the illegal extraction of minerals and every such person shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(2) Whenever any person is found extracting or transporting mineral in contravention of the provisions of these rules the Collector/Additional Collector/ Joint Director/Deputy Director/Mining Officer/Assistant Mining Officer, or any Officer authorised by him or Zila/Janpad/ Gram Sabha] may seize the minor minerals and its products together with all tools, equipments and vehicles used in committing such offence.

(3) The officer seizing illegally extracted or transported mineral or its product, tools, equipments and vehicles shall give a receipt of the same to the person from whose possession such things were so seized and shall make report to the Magistrate having Jurisdiction to try such offence.

(4) The property so seized under sub-rule (2) may be released by the officer who seized such property on execution of a bond to the satisfaction of the officer by the persons from whose possession such property was seized. It shall be produced at the time and at the place when such production is asked for by such officer :

Provided that where a report has been made to the Magistrate under subrule (3) then the seized property shall be released only under the orders of such Magistrate. i ii

(5) The Collector/Additional Collector/Joint Director/Deputy Director/ Mining Officer or Officer authorised by Zila/Janpad/1[Gram Sabha] may either before or after the institution of tire prosecution, compound the offence so committed under sub-rule (1) on payment of such fine which may extend to double the market value of mineral no extracted but in no case it will be less than rupees one thousand or ten times of royalty of minerals so extracted whichever is higher:

Provided that in case of continuing contravention Collector/Additional Collector/Deputy Director/Mining Officer in addition to the fine imposed may also recover an amount of Rs. 500/- for each day till such contravention continues.

(6) Any person who trespasses on any land in contravention of these rules, such trespasser may be served with an order of eviction by the Collector/ Additional Collector.

(7) All property seized under sub-rule (2) shall be liable to be confiscated by an order of the Magistrate trying the offence if the amount of the fine and other sums imposed are not paid within a period of one month from the date of the order:

Chapter -X

ANNEXURE- 4

Illegal Mining, Transportation and Storage of Sand**20. Penalty and Compounding of cases of Illegal Mining.-**

- (1) On receipt of information about illegal mining, the Collector or Officer authorised for this purpose, shall seize mineral, vehicle, machine, tools etc. and case shall be submitted, before the Collector. During the pendency or before taking final decision of the registered case, if any application for compounding the case is received, the Collector may dispose of the case after applicant depositing an amount equal to 25 times of royalty of the excavated mineral. During this period, if application/consent is not received, Collector shall impose penalty, 50 times of the royalty of mineral excavated. On deposit of compounding amount or penalty amount, the seized mineral, vehicle, machines, tools, may be released:

Provided that if penalty amount imposed is not deposited by the illegal extractor, then Collector or Officer authorised for this purpose may confiscate and auction the seized mineral, vehicle, machines and tools.

- (2) **Penalty and compounding of cases of illegal transportation-** In case of registered cases of illegal transportation, transportation without valid e-tp and transportation with quantity more than the quantity entered in e-tp, the Collector may dispose off cases after deposit of compounding fees or amount of penalty by the illegal extractor, as under:-

1. Subs. by Notfn. No. F-19-10-99-XII-2, dated 30-5-2001.

has evaded or avoided payment of royalty, the assessing authority may after giving to assessee a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it may consider necessary, assess the royalty for the period to the best of its judgement. The amount so assessed shall be payable forthwith by the assessee.

CHAPTER X

PENALTY FOR UN-AUTHORISED EXTRACTION AND TRANSPORTATION

53. Penalty for un-authorized extraction and transportation. - (1) Whenever any person is found extracting or transporting minerals or on whose behalf such extraction or transportation is being made otherwise than in accordance with these rules, shall be presumed to be a party to the illegal extraction of minerals and every such person shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(2) Whenever any person is found extracting or transporting mineral in contravention of the provisions of these rules the Collector/Additional Collector/ Joint Director/Deputy Director/Mining Officer/Assistant Mining Officer, or any Officer authorised by him or Zila/Janpad/^Gram Sabha] may seize the minor minerals and its products together with all tools, equipments and vehicles used in committing such offence.

(3) The officer seizing illegally extracted or transported mineral or its product, tools, equipments and vehicles shall give a receipt of the same to the person from whose possession such things were so seized and shall make report to the Magistrate having Jurisdiction to try such offence.

(4) The property so seized under sub-rule (2) may be released by the officer who seized such property on execution of a bond to the satisfaction of the officer by the persons from whose possession such property was seized. It shall be produced at the time and at the place when such production is asked for by such officer :

Provided that where a report has been made to the Magistrate under subrule (3) then the seized property shall be released only under the orders of such Magistrate. i ii

(5) The Collector/Additional Collector/Joint Director/Deputy Director/ Mining Officer or Officer authorised by Zila/Janpad/1[Gram Sabha] may either before or after the institution of tire prosecution, compound the offence so committed under sub-rule (1) on payment of such fine which may extend to double the market value of mineral no extracted but in no case it will be less than rupees one thousand or ten times of royalty of minerals so extracted whichever is higher:

Provided that in case of continuing contravention Collector/Additional Collector/Deputy Director/Mining Officer in addition to the fine imposed may also recover an amount of Rs. 500/- for each day till such contravention continues.

(6) Any person who trespasses on any land in contravention of these rules, such trespasser may be served with an order of eviction by the Collector/ Additional Collector.

(7) All property seized under sub-rule (2) shall be liable to be confiscated by an order of the Magistrate trying the offence if the amount of the fine and other sums imposed are not paid within a period of one month from the date of the order:

Chapter -X

ANNEXURE- 6

Illegal Mining, Transportation and Storage of Sand**20. Penalty and Compounding of cases of Illegal Mining.-**

- (1) On receipt of information about illegal mining, the Collector or Officer authorised for this purpose, shall seize mineral, vehicle, machine, tools etc. and case shall be submitted, before the Collector. During the pendency or before taking final decision of the registered case, if any application for compounding the case is received, the Collector may dispose of the case after applicant depositing an amount equal to 25 times of royalty of the excavated mineral. During this period, if application/consent is not received, Collector shall impose penalty, 50 times of the royalty of mineral excavated. On deposit of compounding amount or penalty amount, the seized mineral, vehicle, machines, tools, may be released:

Provided that if penalty amount imposed is not deposited by the illegal extractor, then Collector or Officer authorised for this purpose may confiscate and auction the seized mineral, vehicle, machines and tools.

- (2) **Penalty and compounding of cases of illegal transportation-** In case of registered cases of illegal transportation, transportation without valid e-tp and transportation with quantity more than the quantity entered in e-tp, the Collector may dispose off cases after deposit of compounding fees or amount of penalty by the illegal extractor, as under:-

1. Subs. by Notfn. No. F-19-10-99-XII-2, dated 30-5-2001.

has evaded or avoided payment of royalty, the assessing authority may after giving to assessee a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it may consider necessary, assess the royalty for the period to the best of its judgement. The amount so assessed shall be payable forthwith by the assessee.

CHAPTER X

PENALTY FOR UN-AUTHORISED EXTRACTION AND TRANSPORTATION

53. Penalty for un-authorized extraction and transportation. - (1) Whenever any person is found extracting or transporting minerals or on whose behalf such extraction or transportation is being made otherwise than in accordance with these rules, shall be presumed to be a party to the illegal extraction of minerals and every such person shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

(2) Whenever any person is found extracting or transporting mineral in contravention of the provisions of these rules the Collector/Additional Collector/ Joint Director/Deputy Director/Mining Officer/Assistant Mining Officer, or any Officer authorised by him or Zila/Janpad/^Gram Sabha] may seize the minor minerals and its products together with all tools, equipments and vehicles used in committing such offence.

(3) The officer seizing illegally extracted or transported mineral or its product, tools, equipments and vehicles shall give a receipt of the same to the person from whose possession such things were so seized and shall make report to the Magistrate having Jurisdiction to try such offence.

(4) The property so seized under sub-rule (2) may be released by the officer who seized such property on execution of a bond to the satisfaction of the officer by the persons from whose possession such property was seized. It shall be produced at the time and at the place when such production is asked for by such officer :

Provided that where a report has been made to the Magistrate under subrule (3) then the seized property shall be released only under the orders of such Magistrate. i ii

(5) The Collector/Additional Collector/Joint Director/Deputy Director/ Mining Officer or Officer authorised by Zila/Janpad/1[Gram Sabha] may either before or after the institution of tire prosecution, compound the offence so committed under sub-rule (1) on payment of such fine which may extend to double the market value of mineral no extracted but in no case it will be less than rupees one thousand or ten times of royalty of minerals so extracted whichever is higher:

Provided that in case of continuing contravention Collector/Additional Collector/Deputy Director/Mining Officer in addition to the fine imposed may also recover an amount of Rs. 500/- for each day till such contravention continues.

(6) Any person who trespasses on any land in contravention of these rules, such trespasser may be served with an order of eviction by the Collector/ Additional Collector.

(7) All property seized under sub-rule (2) shall be liable to be confiscated by an order of the Magistrate trying the offence if the amount of the fine and other sums imposed are not paid within a period of one month from the date of the order:

section 97.

100. Persons in charge of closed place to allow search.—(1) Whenever any place liable to search or inspection under this Chapter is closed, any person residing in, or being in charge of, such place, shall, on demand of the officer or other person executing the warrant, and on production of the warrant, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.

(2) If ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by sub-section (2) of section 47.

(3) Where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.

(4) Before making a search under this Chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness to the search, to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

(5) The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses; but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the Court as a witness of the search unless specially summoned by it.

(6) The occupant of the place searched, or some person in his behalf, shall, in every instance, be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section, signed by the said witnesses, shall be delivered to such occupant or person.

(7) When any person is searched under sub-section (3), a list of all things taken possession of shall be prepared, and a copy thereof shall be delivered to such person.

(8) Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under section 187 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

101. Disposal of things found in search beyond jurisdiction.—When, in the execution of a search-warrant at any place beyond the local jurisdiction of the Court which issued the same, any of the things for which search is made, are found, such things, together with the list of the same prepared under the provisions hereinafter contained, shall be immediately taken before the Court issuing the warrant, unless such place is nearer to the Magistrate having jurisdiction therein than to such Court, in which case the list and things shall be immediately taken before such Magistrate; and, unless there be good cause to the contrary, such Magistrate shall make an order authorising them to be taken to such Court.

D.—Miscellaneous

102. Power of police officer to seize certain property.—(1) Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen, or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offence.

(2) Such police officer, if subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer.



क्रमांक: 3330 / क्षेत्रा / प्रनिबो / 2023

शहडोल दिनांक: 20/11/2023

प्रति,

जिला खनि अधिकारी

कार्यालय कलेक्टर (खानिज शाखा)

जिला- शहडोल / उमरिया / अनूपपुर / डिण्डौरी (म.प्र.)

विषय:-

रेत के अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत रेत माफियाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही बावत्।

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में हाल ही में अवैध रेत उत्खनन संबंधी समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हो रहे हैं। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की परिस्थिति निर्मित हो रही है। चूंकि रेत का अवैध उत्खनन गैर कानूनी एवं अवैधानिक घटना है तथा समय-समय पर राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर अधिसूचित खनिज विनियम नियमों तथा म.प्र. सैण्ड माइनिंग टॉन्गपोर्ट एण्ड स्टोरेज ऐंड निगम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत रेत के अवैध उत्खनन का रोकना तथा रेत के अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना खनिज संसाधन विभाग का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र है।

यह भी उल्लेखनीय है, कि गैर वैज्ञानिकी पद्धति से नदियों से रेत निकालने के कारण पर्यावरण पर निम्नानुसार प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है:-

1. अवैध रेत उत्खनन करने वाले रेत माफियाओं के द्वारा नदी से गैर वैज्ञानिकी तरीके से रेत निकालने के कारण नदी के तल का गहरा होना एवं तटों का कटाव बढ़ना। फलतः नदी का क्षरण होना।
2. अत्यधिक अवैध रेत उत्खनन के कारण पुलों, तटों तथा नजदीकी संरचनाओं के लिए खतरा पैदा होना एवं संलग्न भूमिगत जल परितंत्र भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना।
3. अत्यधिक धारा रेखीय खनन के कारण जलीय एवं तटवर्ती आवासों को नुकसान पहुँचना, नदी तल का क्षरण होना, नदी तल का कठोर होना एवं नदी तल के समीप जल स्तर में कमी होना तथा जल ग्रीवा की अस्थिरता होना।
4. रेत माफियाओं के द्वारा एक ही जगह पर किये जा रहे अवैध रेत उत्खनन के कारण कभी-कभी भू-जल, झरने, भूमिगत कुओं तथा जल स्तर का प्रभावित होना।
5. अत्यधिक अवैध रेत खनन से नदी का तल बदलना, नदी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ जलमय का संभावना बढ़ना।



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail: ropcbshahadol@gmail.com

अतः अनुरोध है, कि जिले में होने वाले अवैध रेत उत्खनन के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण/छापामारी कर अवैध रेत उत्खनन को रोकने हेतु सखिया विनियम नियमों तथा म.प्र. सैण्ड माइनिंग ट्रान्सपोर्ट एण्ड स्टोरेज ट्रेड नियम 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रयास किया जाना जनहित एवं पर्यावरण हित में उपयुक्त होगा। यह भी अनुरोध है, कि अवैध रेत उत्खननकर्ता माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए इससे अवैध रूप से रेत उत्खनन में सक्रिय व्यक्ति हतोत्साहित होंगे एवं पर्यावरण क्षति की प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित नहीं होगी।

(क्षेत्रीय अधिकारी)

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)

शहडोल दिनांक: 20/11/2023

पृ. क्रमांक: 3331 /क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रतिलिपि:-

1. संभागायुक्त आयुक्त महोदय, संभागायुक्त कार्यालय, शहडोल/जबलपुर (म.प्र.) को और उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुरोध सहित प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर महोदय/महोदया, कार्यालय कलेक्टर, जिला शहडोल/उमरिया/अनूपपुर/डिण्डौरी (म.प्र.) की ओर उपरोक्तानुसार अनुरोध सहित प्रेषित।
4. डायरेक्टर (पर्यावरण), प्रभारी: विधि शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(क्षेत्रीय अधिकारी)

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)



क्रमांक: 3541 / क्षेत्रा / प्रनिबो / 2023

शहडोल दिनांक: 07/12/2023

प्रति,
पुलिस अधीक्षक,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
जिला- शहडोल / अनूपपुर / उमरिया / डिण्डौरी (म.प्र.)

विषय:- रेत के अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत रेत माफियाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही बावत्।

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में हाल ही में अवैध रेत उत्खनन संबंधी समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हो रहे हैं। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की परिस्थिति निर्मित हो रही है। चूंकि रेत का अवैध उत्खनन गैर कानूनी एवं अवैधानिक घटना है तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध उत्खनन को रोकना तथा अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना पुलिस विभाग का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र है।

यह भी उल्लेखनीय है, कि गैर वैज्ञानिकी पद्धति से नदियों से रेत निकालने के कारण पर्यावरण पर निम्नानुसार प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है:-

1. अवैध रेत उत्खनन करने वाले रेत माफियाओं के द्वारा नदी से गैर वैज्ञानिकी तरीके से रेत निकालने के कारण नदी के तल का गहरा होना एवं तटों का कटाव बढ़ना। फलतः नदी का क्षरण होना।
2. अत्यधिक अवैध रेत उत्खनन के कारण पुलों, तटों तथा नजदीकी संरचनाओं के लिए खतरा पैदा होना एवं संलग्न भूमिगत जल परितंत्र भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना।
3. अत्यधिक धारा रेखीय खनन के कारण जलीय एवं तटवर्ती आवासों को नुकसान पहुँचना, नदी तल का क्षरण होना, नदी तल का कठोर होना एवं नदी तल के समीप जल स्तर में कमी होना तथा जल ग्रीवा की अस्थिरता होना।
4. रेत माफियाओं के द्वारा एक ही जगह पर किये जा रहे अवैध रेत उत्खनन के कारण कभी-कभी भू-जल, झरने, भूमिगत कुओं तथा जल स्तर का प्रभावित होना।
5. अत्यधिक अवैध रेत खनन से नदी का तल बदलना, नदी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ इत्यादि की संभावना बढ़ना।



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail:ropcbshahadol@gmail.com

अतः अनुरोध है, कि जिले में होने वाले अवैध रेत उत्खनन के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण/छापामारी कर अवैध रेत उत्खनन को रोकने हेतु भारतीय दण्ड विधान संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में प्रयास किए जाना जनहित एवं पर्यावरण हित में उपयुक्त होगा। यह भी अनुरोध है, कि अवैध रेत उत्खननकर्ता माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए, इससे अवैध रूप से रेत उत्खनन में सक्रिय व्यक्ति हतोत्साहित होंगे एवं पर्यावरण क्षति की प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित नहीं होगी।

U/c

(क्षेत्रीय अधिकारी)
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)

क्र. 3542 /क्षेका/प्रनिबो/2023

शहडोल दिनांक: 07/12/2023

समाप्त आयुक्त महोदय, संभागायुक्त कार्यालय, शहडोल/जबलपुर (म.प्र.) की सूचना अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुरोध सहित

निरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, शहडोल/जबलपुर (म.प्र.) की सूचना अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुरोध सहित

सहायक आयुक्त महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) की सूचना अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुरोध सहित प्रेषित।

अधीक्षक (पर्यावरण), प्रभारी: विधि शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

U/c

(क्षेत्रीय अधिकारी)
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाई पास चौक, गोस्तरा, बुढर रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
Tel. Fax (07652) 248938 / E mail : ropebshahadol@gmail.com

क्रमांक
प्रति,

42

क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2024

दिनांक 4/4/2024

जिला खनिज अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),
जिला-उमरिया (म.प्र.)

विषय:- माननीय एन.जी.टी. (पी.बी.) प्रकरण क्रमांक 241/2024 में दिनांक 14.03.2024 को पारित आदेश के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने बावत।

संदर्भ:- माननीय एन.जी.टी. (पी.बी.) प्रकरण क्रमांक 241/2024 में दिनांक 14.03.2024 को पारित आदेश।

उपरोक्त विषयांतर्गत समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 03.02.2024 को प्रकाशित खबर "उमरिया: नहीं थम रहा अवैध रेत खनन, पुलिस ने फिर जप्त किया एक ट्रैक्टर, खनिज विभाग को नहीं जानकारी" के परिप्रेक्ष्य में माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा खबर को संज्ञान में लिया जा कर प्रकरण क्रमांक 241/2024 में दिनांक 14.03.2024 को तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।

उल्लेखनीय है, कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित खनिज विनिमय नियमों तथा म.प्र. सेन्ड माइनिंग, ट्रान्सपोर्ट एण्ड स्टोरेज ट्रेड नियम 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत रेत के अवैध उत्खनन को रोकना तथा रेत के उत्खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना खनिज संसाधन विभाग का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र है।

समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त खबर की परिप्रेक्ष्य में, उमरिया जिला खनिज कार्यालय के द्वारा दायर किये गये अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध रेत भण्डारण से संबंधित प्रकरणों की जानकारी एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे जब्ती नामा, दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति एवं संबंधित राजस्व न्यायालय/सी.जे.एम.न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये चालान की प्रति तथा की गई आवश्यक कार्यवाही की जानकारी सहित शीघ्रताशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने, का कष्ट करें, ताकि माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत की जा सके। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित आदेश की प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

04

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
शहडोल (म.प्र.)

दिनांक 4/4/2024

पृ.क. 43
प्रतिलिपि:-

क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2024

जिला कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला उमरिया (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
शहडोल (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय

ANNEXURE- 12

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

बाई पास चौक, गोरतरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

Tel: Fax (07659) 948039 / E mail: ropcbshahdol@gmail.com



स्मरण पत्र

क्रमांक 296 /क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2024
प्रति,

दिनांक 20/05/2024

जिला खनिज अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),
जिला-उमरिया (म.प्र.)


विषय:- माननीय एन.जी.टी. (पी.बी.) प्रकरण क्रमांक 24/2024 में दिनांक 14.03.2024 को पारित आदेश के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने बावत।

- संदर्भ:- 1. माननीय एन.जी.टी. (पी.बी.) प्रकरण क्रमांक 241/2024 में दिनांक 14.03.2024 को पारित आदेश
2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 42 क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2024 दिनांक 04.04 2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 03.02.2024 को प्रकाशित खबर "उमरिया: नहीं थम रहा अवैध रेत खनन, पुलिस ने फिर जप्त किया एक ट्रैक्टर, खनिज विभाग को नहीं जानकारी" के परिप्रेक्ष्य में माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा खबर को संज्ञान में लिया जा कर प्रकरण क्रमांक 241/2024 में दिनांक 14.03.2024 को तत्संबंध में आवश्यक कार्यावाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।


तत्संबंध में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र अनुक्रमांक 02 के द्वारा आपको समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त खबर के परिप्रेक्ष्य में, उमरिया जिला खनिज कार्यालय के द्वारा दायर किये गये अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध रेत भण्डारण से संबंधित प्रकरणों की जानकारी एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे जब्ती नामा, दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति एवं संबंधित राजस्व न्यायालय/सी.जे.एम. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये चालान की प्रति तथा की गई आवश्यक कार्यवाही की जानकारी सहित शीघ्रताशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया था, किन्तु उक्त परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

अतः उपरोक्तानुसार जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।


क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
शहडोल (म.प्र.)
दिनांक 20/05/2024

पृ.क्र. 297 क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2024
प्रतिलिपि:-

जिला कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला उमरिया (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया (म०प्र०)

क्रमांक / 750/खनिज/एन.जी.टी./2024

उमरिया दिनांक 22/05/2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड
जिला शहडोल (म०प्र०)



विषय- माननीय एन.जी.टी (पी.बी.) प्रकरण क्रमांक 241/2024 मे दिनांक 14.03.2024 को पारित आदेश के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने बावत्।

- संदर्भ-1. आपका पत्र क्रमांक 42/क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2024 दिनांक 04.04.2024 ।
2. आपका पत्र क्रमांक 296/क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2024 दिनांक 20.05.2024 ।

—0000—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे। उक्त पत्रों मे लेख किया गया है कि समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 03.02.2024 को प्रकाशित खबर " उमरिया : नहीं थम रहा अवैध रेत खनन, पुलिस ने फिर जप्त किया एक ट्रेक्टर, खनिज विभाग को नहीं जानकारी" के परिप्रेक्ष्य में माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा खबर को संज्ञान में लिया जा कर प्रकरण क्रमांक 241/2024 में दिनांक 14.03.2024 को ततसंबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है, कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित खनिज विनियम नियमों तथा म. प्र. सेन्ड माइनिंग ट्रॉन्सपोर्ट एण्ड स्टोरेज ट्रेड नियम 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत रेत के अवैध उत्खनन को रोकना तथा रेत के उत्खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना खनिज संसाधन विभाग का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र है।

समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त खबर की परिप्रेक्ष्य में, उमरिया जिला खनिज कार्यालय के द्वारा दायर किये गये अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध रेत भण्डारण से संबंधित प्रकरणों की जानकारी एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे जब्ती नामा, दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति एवं संबंधित राजस्व न्यायालय / सी.जे.एम. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये चालान की प्रति तथा की गई आवश्यक कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि माननीय एन. जी. टी. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत की जा सके। लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार पुलिस अधीक्षक जिला उमरिया (म.प्र.) द्वारा पत्र क्रमांक 472 दिनांक 07.05.2024 तथा खनिज विभाग द्वारा खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण के वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 (माह अप्रैल तक) तक के प्रकरणों के आवश्यक दस्तावेज जैसे जप्तीपत्रक, दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति, संबंधित राजस्व न्यायालय / सी.जे.एम. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये चालान की प्रति, न्यायालय से जारी नोटिस की प्रति, एवं अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

22/5/24
कलेक्टर

जिला उमरिया (म०प्र०)

Ab

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला उमरिया (म.प्र.)

ANNEXURE- 14

दूरभाष क्रमांक 222164-07653 -, फैक्स क्रमांक

07653222710 - Email id - sp_umaria@mppolice.gov.in

क्र./पुअ./उम./रीडर/ 472

/2024

दिनांक 07/05/2024

प्रति,

उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला उमरिया (म.प्र.)

विषय:- अवैध उत्खन्न एवं परिवहन के प्रकरणों की जानकारी के संबंध में ।

संदर्भ:- क्र./616/खनिज/एन.जी.टी./2024 /उमरिया दिनांक 15.04.2024 ।

-000-

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 03.02.2024 को प्रकाशित खबर " उमरिया : नहीं थम रहा अवैध रेत खनन, पुलिस ने फिर जप्त किया एक ट्रैक्टर, खनिज विभाग को नहीं जानकारी" के परिप्रेक्ष्य में माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा खबर को संज्ञान में लिया जा कर प्रकरण क्रमांक 241/2024 में दिनांक 14.03.2024 को तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है, कि राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित खनिज विनियम नियमों तथा म. प्र. सेन्ड माइनिंग ट्रॉस्पॉर्ट एण्ड स्टोरेज ट्रेड नियम 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत रेत के अवैध उत्खनन को रोकना तथा रेत के उत्खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना खनिज संसाधन विभाग का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र है लेख करते हुए समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त खबर की परिप्रेक्ष्य में, उमरिया जिला खनिज कार्यालय के द्वारा दायर किये गये अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध रेत भण्डारण से संबंधित प्रकरणों की जानकारी एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे जब्ती नामा, दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति एवं संबंधित राजस्व न्यायालय / सी.जे.एम. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये चालान की प्रति तथा की गई आवश्यक कार्यवाही की जानकारी सहित माननीय एन. जी. टी. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही कर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत की किये जाने हेतु चाही गई थी।

तत्संबंध में चाही गई जानकारी प्रोफार्मानुसार संलग्न प्रपत्र के अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


पुलिस अधीक्षक
जिला उमरिया

प्रोफार्मा

क्र.	वित्तीय वर्ष	जल्दी नाम	दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति	संबंधित राजस्व न्यायालय/ सी.जे.एम. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये चालान की प्रति	की गई आवश्यक कार्यवाही की जानकारी	रिमार्क
1.	2023-2024	66	66	62	अवैध रेत उत्खनन कर परिवाहन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।	04 लंबित अपराध विवेचनाधीन
2.	2024-2025	02	02	-	अवैध रेत उत्खनन कर परिवाहन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई।	02 लंबित अपराध विवेचनाधीन

प्रति ,

उपसंचालक महोदया,
खनिज शाखा
जिला - उमरिया (म. प्र.)

विषय : - माननीय एन. जी. टी. (पी. बी.) प्रकरण क्रमांक 241/2024 में दिनांक 14.03.2024 को पारित आदेश के पालनार्थ एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने वावत।

सन्दर्भ : - कार्यालयीन पत्र क्रमांक 570 दिनांक 05.04.2024 ।

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार लेख किया गया है कि समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 03.02.2024 को प्रकाशित खबर " उमरिया : नहीं थम रहा अवैध रेत खनन, पुलिस ने फिर जप्त किया एक ट्रैक्टर , खनिज विभाग को नहीं जानकारी" के परिप्रेक्ष्य में माननीय एन. जी. टी. प्रिंसिपल बेंच , नई दिल्ली द्वारा खबर को संज्ञान में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक 241/2024 में दिनांक 14.03.2024 को तत्सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है, कि राज्य शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित खनिज विनियमों तथा मध्यप्रदेश सैंड माइनिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ट्रेड नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत रेत के अवैध उत्खनन को रोकना तथा रेत के अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना खनिज संसाधन विभाग का कार्य क्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र है।

समाचार पत्र में प्रकाशित उक्त खबर के परिप्रेक्ष्य में उमरिया जिला खनिज कार्यालय के द्वारा दायर किये गए अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध रेत भंडारण से सम्बन्धित प्रकरणों की जानकारी एवं संबन्धित आवश्यक दस्तावेज जैसे जप्तीनमा , दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति एवं सम्बन्धित राजस्व न्यायालय/सीजेएम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गए चालान की प्रति तथा की गई आवश्यक कार्यवाही की जानकारी सहित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उक्त पत्र प्रदान किया गया है।

पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं अवैध भंडारण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 (माह अप्रैल तक) में खनिज अमले द्वारा की गई कार्यवाही का कार्यालयीन अभिलेख अनुसार विवरण संलग्न प्रपत्र सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु महोदया की ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्न :- प्रपत्र - अ व प्रपत्र - ब

दिनांक :- 17.05.2024



प्र. खनि निरीक्षक

(खनिज-शाखा)

जिला - उमरिया (म. प्र.)



सहा. खनि अधिकारी

(खनिज-शाखा)

जिला - उमरिया (म. प्र.)

प्रपत्र - अ

वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर्ज खनिज रेत के अवैध उत्खनन के प्रकरणों की जानकारी

क्र.	अन(वेदक का नाम	जप्तीपत्रक	प्रतिवेदन की प्रति	न्यायालय से जारी नोटिस की प्रति	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	जमा अर्थदंड की राशि	रिमार्क
1	आर. एस. आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि. अधिकृत श्री वीरिन्द सिंह जादौन	प्रकरण में जप्ती नहीं होने से संलग्न नहीं है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायालय परत आदेश दिनांक 23.02.2024 खारिज किया गया	-	-
2	शील कुमार मिश्रा पिता मोतीलाल मिश्रा निवासी झाल तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है	-	-
3	श्रीमती संध्या रानी पाण्डेय पति श्री सुशांत नाहक निवासी वार्ड क्र. 09 बीरसिंहपुर पाली तहसील पाली जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	10000/-	-
4	कुशल सिंह गोंड पिता श्री सुखनंदन सिंह गोंड निवासी ग्राम भीतरा तहसील पाली जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	12250/-	-
5	रामावतार पाण्डेय पिता खुशीराम पाण्डेय निवासी ग्राम खेरवा खुर्द तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	16720/-	-
6	तुलाराम यादव पिता श्री भुल्ली यादव निवासी ग्राम लोढ़ा तहसील चंदिया जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	17920/-	-
7	श्याम कुमार शर्मा पिता मिट्ठू शर्मा निवासी ग्राम माला तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	21700/-	-
8	प्रभा सिंह पति कमलेन्द्र सिंह परिहार निवासी ग्राम बांका तहसील चंदिया जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	16788/-	-
9	रवि कुमार सेन पिता रामकरण सेन निवासी वार्ड नंबर 04 मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	जप्ती का पंचनामा संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	12250/-	-
10	दीपक शर्मा पिता घनश्याम शर्मा निवासी मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	जप्ती का पंचनामा संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	12250/-	-
11	दुर्गा सिंह मरावी पिता श्री रामदीन सिंह मरावी निवासी ग्राम जमुनिथा तहसील बिलासपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है	12250/-	-
12	भानु सिंह राठौर पिता रमेश सिंह राठौर निवासी ग्राम मुंडा तहसील करकेली जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	12250/-	-

13	राममोहन सिंह पिता अर्जुन सिंह निवासी भौनपुरा तहसील व जिला भिंड (म.प्र.)	प्रकरण में जप्ती नहीं होने से संलग्न नहीं है, पंचनामा संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	256150/-
14	राममोहन सिंह पिता अर्जुन सिंह निवासी भौनपुरा तहसील व जिला भिंड (म.प्र.)	प्रकरण में जप्ती नहीं होने से संलग्न नहीं है, पंचनामा संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	253262/-
15	अवनीश समदरिया पिता संतोष समदरिया निवासी ग्राम पधरहटा तहसील चंदिया जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	16750/-
16	सोनू यादव पिता इतुआ प्रसाद यादव निवासी अमहा तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	11312/-


 प्र. खनि निरीक्षक
 (खनिज-शाखा)
 जिला - उमरिया (म.प्र.)


 सहा. खनि अधिकारी
 (खनिज-शाखा)
 जिला - उमरिया (म.प्र.)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज खनिज रेत के अवैध उत्खनन के प्रकरणों की जानकारी

क्र.	अनावेक का नाम	जारीपत्रक	प्रतिवेदन की प्रति	न्यायालय से जारी नोटिस की प्रति	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	जमा अर्थदंड की राशि	टिप्पणियाँ
1	दयाराम सिंह (बाहन चालक) पिता रामलखन सिंह निवासी ग्राम पुरवा, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना (म.प्र.)	संग्रह है	संग्रह है	संग्रह है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	77,500/-	-
2	प्रतीक सिंह बघेल पिता श्री रजनीश कांत बघेल, नि. ग्राम मोरैया, तह. रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.)	संग्रह है	संग्रह है	संग्रह है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्याया. द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	74,312/-	-
3	बिपिन कुमार सिंह पिता श्री राजधर सिंह नि. ग्राम कोठरा, जिला सतना (म.प्र.)	संग्रह है	संग्रह है	संग्रह है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्याया. द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	72,550/-	-
4	दिलीप गुप्ता पिता श्री मोहन लाल गुप्ता नि. ग्राम भदनपुर पहाड, थाना बदेरा, जिला सतना (म.प्र.)	संग्रह है	संग्रह है	संग्रह है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	73,976/-	-
5	महोबीर स्टोन क्रेशर प्रो.विक्रम कुमार जैन, नि. मैहर रोड अमरपाटन, जिला मैहर (म.प्र.)	संग्रह है	संग्रह है	संग्रह है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	60,476/-	-
6	विजय मिश्रा पिता श्री काशी प्रसाद मिश्रा, निवासी ग्रामनरवार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.)	संग्रह है	संग्रह है	संग्रह है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	12,250/-	-
7	शशिभूषण तिवारी पिता श्री ज्वाला प्र. तिवारी, निवासी ग्राम इटौरा, तहसील विजयराघवगढ़, जिला उमरिया (म.प्र.)	संग्रह है	संग्रह है	संग्रह है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	12,250/-	-
8	चंदन सिंह पिता श्री कोदू सिंह, निवासी संघी, तहसील बडबारा, जिला कटनी (म.प्र.)	संग्रह है	संग्रह है	संग्रह है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदंड की राशि जमा किया गया)	12,250/-	-

प्र. खनि निरीक्षक
(खनिज-शाखा)

जिला - उमरिया (म. प्र.)

सहा. खनि अधिकारी
(खनिज-शाखा)

जिला - उमरिया (म. प्र.)

प्रपत्र - ब
वित्तीय वर्ष 2023-24 में दर्ज खनिज रेत के अवैध भंडारण के प्रकरणों की जानकारी

क्र.	अनावेदक का नाम	जप्तीपत्रक	प्रतिवेदन की प्रति	न्यायालय से जारी नोटिस की प्रति	प्रकरण की वर्तमान स्थिति (लंबित / निराकृत)	जमा अर्धदंड की राशि	रिमार्क
1	गंगा राम रैदास पिता श्री मुलुआ रैदास निवासी ग्राम अचला तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत प्रकरण माननीय कलेक्टर न्याया. से आदेश पारित हो गया है, वसूली हेतु कार्या. पत्र क्र. 99 दिनांक 17.01.2024 से मांग पत्र जारी किया गया है	-	-
2	टिकू जायसवाल निवासी जयसिंगनगर जिला शहडोल (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायलय में विचाराधीन है	-	-
3	संदीप पटेल पिता विजय कुमार पटेल निवासी नौगवा तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायलय में विचाराधीन है	-	-
4	अज्ञात / लावारिस ग्राम बल्हौड तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.) अंतर्गत ख.क्र. 748/1716/1पर	संलग्न है	संलग्न है	राजसात का आदेश संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा खनिज राजसात किया गया है)	-	-
5	अज्ञात / लावारिस ग्राम बल्हौड तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.) अंतर्गत ख.क्र. 737/1/2 पर	संलग्न है	संलग्न है	राजसात का आदेश संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा खनिज राजसात किया गया है)	-	-
6	अज्ञात / लावारिस ग्राम खलौध तहसील पाली जिला उमरिया (म.प्र.) अंतर्गत ख.क्र. 38 पर	संलग्न है	संलग्न है	राजसात का आदेश संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा खनिज राजसात किया गया है)	-	-
7	अज्ञात / लावारिस ग्राम ओदरी तहसील पाली जिला उमरिया (म.प्र.) अंतर्गत ख.क्र. 60 पर	संलग्न है	संलग्न है	राजसात का आदेश संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा खनिज राजसात किया गया है)	-	-
8	रामचरण गुप्ता पिता जागेश्वर प्रसाद गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 05 नगर परिषद मानपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायलय में विचाराधीन है	-	-
9	लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल पिता स्व.श्री चिम्मनलाल खंडेलवाल निवासी गांधी चौक उमरिया तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायलय में विचाराधीन है	-	-
10	धनूलाल विश्वकर्मा पिता श्री चुतुवादा लाल विश्वकर्मा निवासी ग्राम बरबसपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायलय में विचाराधीन है	-	-
11	मोहम्मद फेज पिता रमजान निवासी जय स्तम्भ के पास शहडोल तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा अधिरोपित अर्धदंड की राशि जमा किया गया)	24626/-	-

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

12	श्री रामायण सिंह पिता चेतराम सिंह निवासी ग्राम डोगरगवां हरवाह तहसील बिलासपुर जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायलय में विचाराधीन है		
13	सत्यम ट्रेडर्स प्रो. श्री सत्यम तिवारी पिता श्री मोहन प्रसाद तिवारी निवासी मझगवां तहसील करकेली जिला उमरिया (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायलय में विचाराधीन है		
14	मोहम्मद फेज पिता रमजान निवासी जय स्तम्भ के पास शहडोल तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायलय में विचाराधीन है		
15	मेसर्स त्रिशूल कंस्ट्रक्शन पता E-7/60 अरेरा हिल्स कालोनी भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा अधिरोपित अर्धदंड की राशि जमा किया गया)	53500/-	
16	मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन प्रो. चन्द्र प्रकाश शर्मा निवासी बाणसागर कालोनी रीवा जिला रीवा (म.प्र.)	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा अधिरोपित अर्धदंड की राशि जमा किया गया)	49750/-	
17	सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत कछरवार तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया (म.प्र.)	जप्ती का पंचनामा संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	प्रकरण माननीय कलेक्टर न्यायलय में विचाराधीन है		
18	अज्ञात / लावारिस ग्राम बेली तहसील पाली जिला उमरिया (म.प्र.) अंतर्गत ख.क्र. 98/1,81/1,75,74/1 पर	संलग्न है	संलग्न है	राजसात का आदेश संलग्न है	निराकृत (प्रकरण में माननीय कलेक्टर न्यायलय द्वारा खनिज राजसात किया गया है)		


प्र.खनि निरीक्षक
(खनिज-शाखा)
जिला - उमरिया (म.प्र.)


सहा. खनि अधिकारी
(खनिज-शाखा)
जिला - उमरिया (म.प्र.)

प्रपत्र - ब

वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज खनिज रेत के अवैध भण्डारण के प्रकरणों की जानकारी

क्र.	अनावेदक का नाम	जसीपत्रक	प्रतिवेदन की प्रति	न्यायालय से जारी नोटिस की प्रति	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	जमा अर्थदंड की राशि	रिमार्क
-	-	-	निरंक	-	-	-	-



प्र. खनि निरीक्षक

(खनिज-शाखा)

जिला - उमरिया (म. प्र.)



सहा. खनि अधिकारी

(खनिज-शाखा)

जिला - उमरिया (म. प्र.)

VAKALATNAMA
[Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ORIGINAL APPLICATION 241/2024
PRINCIPAL BENCH

IN THE MATTER OF:

(Suo Moto Action on the News item titled "Umariya: nahi tham raha avaidh ret kharan, police ne phir jabt kia ek tractor, kharan vibhag ko nahi jaankari" appearing in Amar Ujala dated 03.02.2024)



I/We/Appellant/Claimant/Petitioner or Defendant/Respondent/Non-Applicant named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this **12 June 2024 at Bhopal.**

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

Name & Fathers Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone (If any)	Status in case	Signature
Mukesh Shrivastava, Regional Officer, Shahdol	Regional Office, Shahdol, M.P. Pollution Control Board Shahdol, Gortara, Burhar Road. Distt. Shahdol, (M.P.)	7987813550 ropcbshahadol@ gmail.com	Officer-in- Charge	

Accepted

Name & Enrollment No.	Address (If any) E-Mail Add.	Telephone (If any)	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	parul.bhadoria04@gmail.com	8085977111	
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021	advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	
SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023	advshivamdwivedi20@gmail.com	8878471359	